FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम ....

मालाराम बनाम खेमाराम वगैरह

किस्म मुकदमा रा० आवेदन नं. 231/18 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/09/18	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिणछोड़ाराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोर्डेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29/10/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
29/10/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या-1 उपस्थित। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 24/12/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	खेमाराम
24/12/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 07/01/19 को पेश [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:52:30 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/01/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि इस प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत मेंड मेंड आये हुए हैं। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के बीच जो पुरानी मार्ड व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं जिस कारण प्रार्थी को अपने खेत के सेंधे का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। तथा वर्षात होने पर विपक्षीगण प्रार्थी के सेंधे को तोड़कर उसमें काश्त कर लेते हैं। इस वजह से प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के सेंधे को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेंधे का सही ज्ञान करने के लिए नेक्षमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेक्षमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेक्षमबंदी आदेश दिया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेक्षमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व सम्बंधित भू-अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ ~~किसी~~ सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेक्षमबंदी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा करवाकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज रजिस्टर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। [signature] 14.1.2020	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:52:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

/वाद/2020/ 1068

दिनांक:– 14-01-2020

प्रार्थी | बनाम | विप्रार्थीगण

मालाराम पुत्र उदाराम जाति जाट
निवासी सवाऊ मुलराज

खेमाराम पुत्र उदाराम वगैरा
निवासी सवाऊ मुलराज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 231/2018

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा रामदेरिया व सवाऊ मुलराज पटवार हल्का सवाऊ मुलराज तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 496/416, 495/337 व 471/376 कमशः रकबा 18.04, 27.17 व 37.08 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वंय या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/– जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक/वाद/2020/ 1069-73 दिनांक:– 14-01-2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी सवाऊ मुलराज को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री मालाराम पुत्र उदाराम
4. विप्रार्थीगण खेमाराम पुत्र उदाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु/गिड़ा

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:52:30 IST
Reason: SelfAttested